

## परिशिष्ट-'घ'

विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) हेतु भरे जाने वाले आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले

### अनुलग्नकों का विवरण

१. छात्र द्वारा ऑनलाइन भरे गये छात्रवृत्ति आवेदन पत्र का स्पष्ट प्रिन्ट आउट।
२. आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित) की प्रमाणित छाया प्रति एवं राजस्व विभाग की वेबसाइट पर सत्यापित इस प्रमाणपत्र की प्रति।
३. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित) की प्रमाणित छाया प्रति एवं राजस्व विभाग की वेबसाइट पर सत्यापित इस प्रमाणपत्र की प्रति। (केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बर्ग के विद्यार्थियों हेतु)
४. सामान्य निवास प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित) की प्रमाणित छाया प्रति एवं राजस्व विभाग की वेबसाइट पर सत्यापित इस प्रमाणपत्र की प्रति।
५. पिछले शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति।
६. यदि दो कक्षाओं के बीच गैप हो तो तदआशय का शपथ पत्र १०/-रु० के नाम जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित।
७. अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र १०/-रु० के नाम जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कि उनके माता—पिता/अभिभावक की वार्षिक आय निर्धारित सीमा के अन्तर्गत है तथा प्रवेश के समय अभ्यर्थी ने रु..... विश्वविद्यालय को जमा किये हैं जिसमें रु..... अनिवार्य (नॉन रिफण्डेवल) धनराशि है। अभ्यर्थी यह भी अकित करेगा/करेगी कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण पूर्णतया सत्य एवं सही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि/गलती पाये जाने पर वह स्वयं जिम्मेदार होगा/होगी।
८. यदि छात्र हॉस्टल में आवासित है तो हॉस्टल द्वारा प्रदान की गई शुल्क की रसीद की प्रति।
९. छात्र द्वारा संस्था के समीपस्थ राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में खोले गये खाते की पासबुक की प्रति।

## परिशिष्ट—‘च’

**छात्र/छात्रा द्वारा देय शपथ पत्र (रु. १० के स्टाम्प पेपर पर)**

समक्षः संरक्षणाध्यक्ष/जिला समाज कल्याण अधिकारी (जो उचित हो)

मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... जो ग्राम.....  
 ..... मुहल्ला ..... जनपद ..... का निवासी हूँ, शपथपूर्वक  
 निम्नलिखित बयान करता हूँ :—

१. यह कि मैं ग्राम ..... मुहल्ला ..... तहसील .....  
 ..... जिला ..... उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ (सामान्य निवास प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त संलग्न है)।
  २. यह कि मैं उत्तरप्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट ..... जाति से सम्बन्धित हूँ तथा मेरी जाति ..... सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अन्तर्गत आती है का हूँ। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाणपत्र संलग्न है)।
  ३. यह कि मेरे माता पिता, विधिक अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रूपया दो लाख या इससे कम है (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाणपत्र/अभिभावक के नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आय प्रमाणपत्र घोषणा पत्र सहित संलग्न है)।
  ४. यह कि सम्प्रति मैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार के (पाठ्यक्रम का नाम) पाठ्यक्रम में ..... वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हूँ। संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है।
  ५. यह कि मैंने उक्त विश्वविद्यालय/बोर्ड में पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया है। पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर संस्था को ससमय उपलब्ध करा दूंगा/जमा कर चुका हूँ।
  ६. यह कि मैंने पिछली परीक्षा ..... वर्ष में उत्तीर्ण की है। गैप के सम्बन्ध में अलग से शपथ पत्र औचित्य सहित प्रस्तुत है। परीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न है।
  ७. यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति स्वीकृत होती है तो मैं दोनों में से किसी एक के लिये, जो भी अधिक लाभप्रद होगी, अपना विकल्प दूंगा/दूंगी और दिये गये विकल्प के बारे में सूचना संकायाध्यक्ष महोदय/कोडिनेटर महोदया को नियमानुसार उपलब्ध करा दूंगा/दूंगी।
  ८. यह कि मेरा बचत खाता सख्ता ..... बैंक ..... के ..... शाखा में खुला हुआ है।
  ९. यह कि उक्त संस्था में प्रवेश हेतु मैंने रु. ..... (शब्दों में.....) अनिवार्य (Non- Refundable) राशि है।
- उक्त शपथ पत्र में १ से ९ तक में वर्णित सभी तथ्य सही एवं मेरी पूर्ण जानकारी में हैं इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर हमारी मदद करे।

दिनांक :

शपथी के हस्ताक्षर

नाम.....  
 पिता/पति का नाम.....  
 पता.....

## परिशिष्ट—‘ज’

### शैक्षणिक संस्था द्वारा दिया जाने वाला सत्यापन/संस्तुति प्रमाण—पत्र

(रु. १०/- के नॉन—जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ—पत्र निम्नानुसार उपलब्ध कराया जायेगा)

१. अ) पाठ्यक्रम की वार्षिक/ सेमेस्टर परीक्षा का अनुमानित माह.....  
ब) पाठ्यक्रम हेतु संस्थान द्वारा ली जाने वाली वार्षिक अनिवार्य नॉन—रिफण्डेबल धनराशि (अंकों में)..... (शब्दों में).....  
स) पाठ्यक्रम की अवधि.....
२. पाठ्यक्रम हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदित वार्षिक नॉन—रिफण्डेबल अनिवार्य शुल्क धनराशि (अंकों में)..... (शब्दों में).....
३. संस्थान की मान्यता का विवरण
४. जिन सामान्य वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रति पूर्ति) की संस्तुति समाज कल्याण विभाग से की जा रही है उन छात्रों का प्रवेश संस्था में ले लिया गया है।
५. शपथ पत्र पर कोर्डिनेटर/संकायाध्यक्ष का नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर, ई—मेल आई०डी० एवं प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर विषयक पत्र।
६. परिसर/संकाय स्तर पर तैयार की गई विद्यार्थियों की जिलावार सूची हार्ड व साफ्ट कापी (सी०डी०) के रूप में संलग्न की गयी है।
७. शपथ पत्र पर यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि हार्ड कापी में अंकित समस्त छात्रों के आवेदन पत्रों के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न कराये गये हैं। साथ ही साथ आय एवं निवास प्रमाण पत्र को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाईट से प्रमाणित भी कर लिया गया है, जो सही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर छात्र/छात्रा सहित कोर्डिनेटर/ संकायाध्यक्ष पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

नोट— किसी भी दशा में उक्तानुसार विवरण रहित शपथ—पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

दिनांक  
हस्ताक्षर

कोर्डिनेटर/ संकायाध्यक्ष

छात्रवृत्ति(अनुरक्षण भत्ता एवे शुल्क प्रतिपूर्ति) योजना में  
संस्थान द्वारा संस्तुति व अग्रसारण सम्बन्धी घोषणा पत्र

१. शिक्षण संस्थान की सक्षम स्तर से अनुमन्य कुल प्रवेश क्षमता ..... के सापेक्ष (अधिकतम् ४० प्रतिशत सीमा तक) अनुसूचित जाति के ..... छात्रों एवं अनुसूचित जनजाति के ..... छात्रों से प्रवेश के समय कोई भी नॉन—रिफण्डेबल शुल्क नहीं लिया गया है।
२. घोषणापत्र पर संस्थाध्यक्ष का नाम, पद नाम, मोबाइल नम्बर, ईमेल आइडी एवं प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर विषयक पत्र।
३. विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर पर संस्तुति की हार्ड व साफ्ट कॉपी (ऑनलाइन)।
४. घोषणापत्र पर यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि (हार्डकॉपी) में अंकित समस्त छात्रों के आवेदन पत्रों के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न कराये गये हैं। साथ ही साथ आय एवं जाति प्रमाणपत्र को बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की वेबसाइट से प्रमाणित भी कर लिया गया है। जो सही है। किसी भी प्रकार के त्रुटि पाये जाने पर छात्र सहित संस्थाध्यक्ष पूर्णतया उत्तरदायी होगा।
५. अस्पसंख्यक संस्था होने पर स्वीकृत सीटों के सापेक्ष ५० प्रतिशत सीमा तक अस्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को प्रवेश दिये जाने का साक्ष्य व प्रमाण पत्र (लागू नहीं)

**नोट:—** किसी भी दशा में उक्तानुसार विवरण रहित घोषणापत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।